संख्या: 99/2025/493/35-1-25-7-331/8062/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-4

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग- 1 लखनऊ, दिनांक: 04 जून, 2025

विषय: उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिये फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से निर्मित फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में लाभार्थीपरक योजनाओं की बेहतर प्रबंधन व पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से प्रदेश में अध्यासित समस्त परिवारों हेतु शासनादेश संख्या: 6/2022/724/35-1-2022/35-1010(099)/5/2021 दिनांक 21 जुलाई, 2022 के द्वारा फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की जा रही है। इस सम्बन्ध में योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या: 8/2022/1003/35-1-2022-7-331/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-4 दिनांक 06 अक्टूबर,2022, संख्या: 1/2023/26/35-1-2023-7-331/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-4 दिनांक 07 फरवरी, 2023 एवं संख्या: 127/2024/539/35-1-2024-7-360/ज0नि0प्र0/2024 दिनांक 27 जून,2024 के द्वारा कतिपय निर्देश निर्गत किये गये थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित लगभग 3.60 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवारों के 15.07 करोड़ सदस्यों हेतु उनकी राशन कार्ड संख्या को फैमिली आई0डी0 माना गया है। गैर-राशन कार्ड धारकों के लिये फैमिली आई0डी0 वेब पोर्टल https://familyid.up.gov.in/ के माध्यम से फैमिली आई0डी0 बनाये जाने की व्यवस्था विकसित की गयी है।

2- फैमिली आई0डी0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज परिवार विवरण को संशोधित किये जाने की व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। प्रदेश के अध्यासितों की आवश्यकता के दृष्टिगत फैमिली आई0डी0 पोर्टल https://familyid.up.gov.in/ के माध्यम से निर्गत की जाने वाली फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज परिवार के विवरण को संशोधित किये जाने की व्यवस्था विकसित कर ली गयी है। तत्क्रम में फैमिली आई0डी0 के लिये दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

1. फैमिली आई0डी0 पोर्टल के माध्यम से फैमिली आई0डी0 धारक परिवार द्वारा पूर्व में दर्ज परिवार विवरण को फैमिली आई0डी0 पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) के माध्यम से संशोधित करने हेतु आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण / SOP संलग्नक- 1 पर दिया गया है।
2. फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने हेतु आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 1/2023/26/35-1-2023-7-331/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-4 दिनांक: 07 अप्रैल, 2023 के अनुसार होगी जिसके अंतर्गत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप-जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
3. कृपया उचित माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुये शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या: 99/2025/493/35-1-25-7-331/8062/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-4 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष एवं मंडलीय अधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक- 1

फैमिली आई0डी0 पोर्टल के माध्यम से निर्मित फैमिली आई0डी0 के लिये दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

1. फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज विवरण को संशोधित करने हेतु फैमिली आई0डी0 पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) के होम पेज पर प्रदर्शित हो रहे Sign In बटन पर क्लिक करें। निर्धारित स्थान पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा कैप्चा डालकर Send OTP पर क्लिक करें। तदोपरांत मोबाइल पर प्राप्त OTP एवं कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

2. अपना आधार नंबर इनपुट कर "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें। तदोपरांत आवेदक अपना विवरण यथा-सदस्य का नाम, लिंग तथा परिवार में कुल सदस्य विवरण देख सकेंगे तथा फैमिली आई०डी० संशोधन हेतु "फैमिली आई०डी० देखने / प्रिंट / संशोधन हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP भेंजे" बटन पर क्लिक कर आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजें गए OTP को इनपुट करें।

3. OTP verification के पश्चात "फैमिली आई0डी0 संशोधन हेतु यहाँ क्लिक करें" बटन पर क्लिक करें। तदोपरांत परिवार के सदस्यों का विवरण (वर्तमान स्थिति) यथा- नाम, लिंग, जन्मतिथि, धारक से सम्बन्ध तथा फोटो प्रदर्शित होगा।

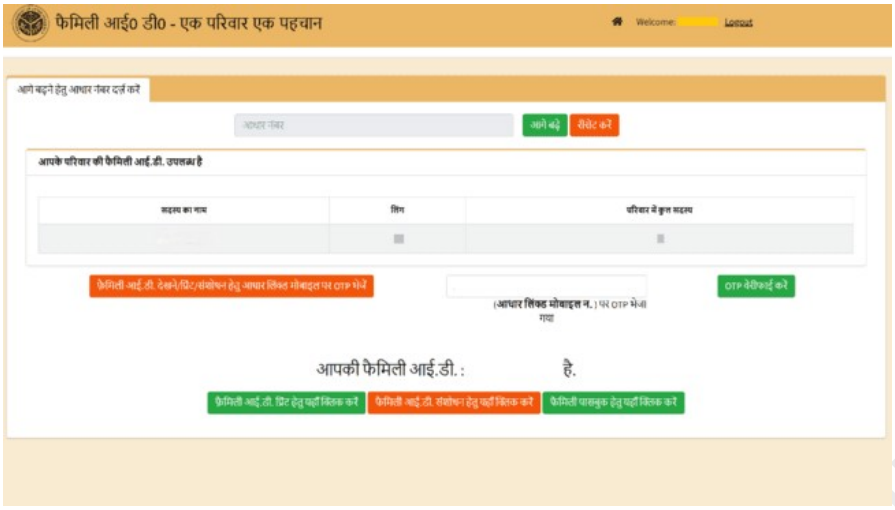
फैमिली आई० डी० - एक परिवार एक पहचान
Welcome:
Logout
आगे बढ़ने हेतु आधार नंबर दर्ज करें
आधार नंबर
आगे बढ़ें
रीसेट करें
आपके परिवार की फैमिली आई.डी. उपलब्ध है
सदस्य का नाम
लिंग
परिवार में कुल सदस्य
फैमिली आई.डी. देखने/प्रिंट/संशोधन हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP भेजें
OTP वेरीफाई करें
(आधार लिंक्ड मोबाइल न.) पर OTP भेजा गया
आपकी फैमिली आई.डी. : है.
फैमिली आई.डी. प्रिंट हेतु यहाँ क्लिक करें
फैमिली आई.डी. संशोधन हेतु यहाँ क्लिक करें
फैमिली पासबुक हेतु यहाँ क्लिक करें

4. नाम विवरण के सम्मुख "संशोधित करें" बटन पर क्लिक करने के उपरान्त आधार e-KYC कर फैमिली आई०डी० हेतु दर्ज Demographics डाटा विवरण को आधार में वर्णित विवरण के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा। इस हेतु आधार e-KYC के उपरान्त "सदस्य का विवरण अपडेट करें" बटन पर क्लिक करें।

5. नये सदस्य को जोड़ने के लिये आवेदन के अंतर्गत "नया सदस्य जोड़े" बटन पर क्लिक करें। ड्राप डाउन मेनू से सदस्य जोड़ने का कारण यथा- जन्म या विवाह के कारण अथवा फैमिली आई०डी० हेतु आवेदन करने के समय यदि किसी भी कारणवश कोई सदस्य छूट गया था, का चयन कर आधार e-KYC किये जाने के उपरांत परिवार में नया सदस्य जोड़ा जा सकेगा। साथ ही आवेदक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जोडे जाने वाले नये सदस्य का SPOC से सम्बन्ध भी ड्राप डाउन मेनू से चुने।

6. नाम विवरण के सम्मुख "डिलीट करें" बटन पर क्लिक करने के उपरान्त सदस्य हटाने का कारण यथा- मृत्यु, विवाह, विस्थापन या परिवार से अलग हो गया का ड्राप डाउन मेनू से चयन कर सदस्य को हटाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त SPOC के डिलीट किये जाने की दशा में आवेदक को एक नया SPOC नामित करना होगा तथा उसके सापेक्ष परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंधों को पुनः दर्ज कर सुरक्षित करना होगा।

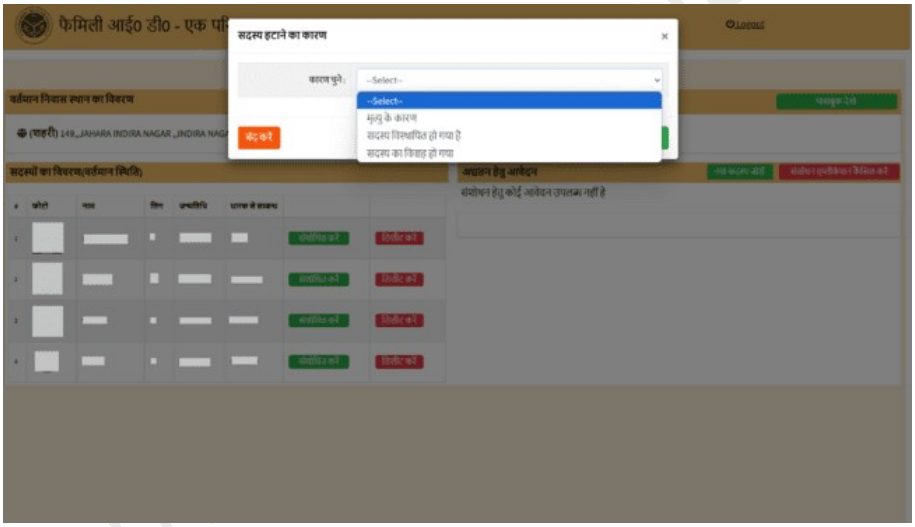

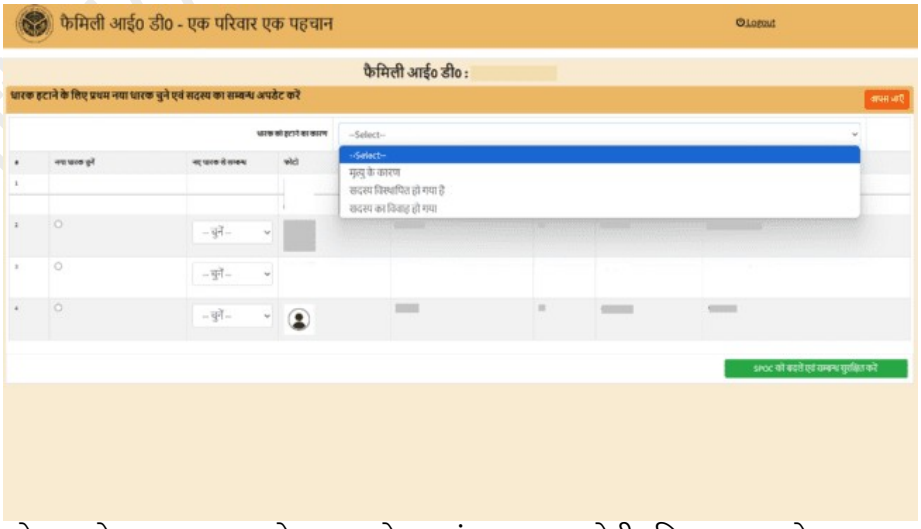

7. संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग कर आवेदन की स्थिति https://familyid.up.gov.in/portal/track.aspx लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

8. फैमिली आई0डी0 हेतु दर्ज परिवार विवरण को संशोधित करने हेतु आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 1/2023/26/35-1-2023-7-331/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-4 दिनांक: 07 अप्रैल, 2023 के अनुसार होगी, जिसके अंतर्गत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप-जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
9. आवेदन के सत्यापनोपरांत संशोधित फैमिली आई0डी0 पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) के माध्यम से डाउनलोड कर प्रिंट की जा सकेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in